

बिहार सरकार - 292
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियां

पटना, दिनांक 07.05.15.....

विषय:- 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 42 इकाई आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं 117 इकाई इन्दिरा आवास योजना निर्माण हेतु विमुक्त प्रथम किस्त की राशि का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रेषण के संबंध में पृच्छा ।


प्रसंग:- आपका पत्रांक 338 दिनांक 11.12.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एम0एस0डी0पी0 के तहत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 42 इकाई आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि 63.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 117 इकाई इन्दिरा आवास योजना आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त 19.75 लाख का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है । उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों योजनाओं की 42 एवं 117 इकाई को ड्रॉप कर दिया गया है। उक्त योजना में बिना राशि के व्यय के गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबंध में दोषी कर्मी/पदाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासत्मक कारवाई की जाये ।

अनुरोध है कि की गई कारवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन


सरकार के प्रधान सचिव
7.5.15